कारान द्वारा खसरा नं. 65,173/6 की भूमि को यथावत एवं शेष मुस्तर्कामिया खेतान खसरा नंबर /1, 6 माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र वर्णित खसरा नं. 137/1, 6 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर ांक 20.09.2021 प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में प्राथमिक ारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 14 दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना । वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव सार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव ीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार ा गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी चेनाराम, सोहनराम, प्रकाश ने बंटवारा ाव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की : मनफुल एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। इसलिये मौजा नोसरिया ील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 65,137/1,6,173/6 में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या तिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से । माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझता है।

— : : आदेश : : —

ान् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार ा जाकर मौजा नोसरिया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 65,137/1,6,173/6 में वादी ा 1 व प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 14 दिनांक 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) सार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री ा जाता है।

1. वादी चेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 137/1 रकबा 5.5280 हैक्टेयर में से 1/2 अर्थात 2.7640 पूर्वी भाग व खसरा नंबर 6 रकबा 6.6773 हैक्टेयर में से 2.7569 हैक्टेयर (17.03 बीघा) पश्चिमी भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाशराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 137/1 रकबा 5.5280 हैक्टेयर में से 1/2 अर्थात 2.7640 पश्चिमी भाग व खसरा नंबर 6 रकबा 6.6773 हैक्टेयर में से 3.9204 हैक्टेयर पूर्वी भाग व खसरा नंबर 173/6 रकबा 0.5585 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 सोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में खेत खसरा नंबर 65 रकबा 9.7448 हैक्टेयर पूरा यथावत रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner